न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा **धारा 6ए** आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 91/2025
(GCMS **2025/210**)

राज्य सरकार जरिये सरोज बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

मैसर्स राधेश्याम गोयल, इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेन्सी, 51 आरबी (तामकोट), **तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.10.2025

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गाबा की पंर्चा पैरवी पर श्री घनश्याम सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए और कथन किया कि, उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस समझा जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि समस्त सलैण्डर गैस एजेन्सी में थे। जिसके समस्त कागजात पूर्ण थे। कागजात होने के बावजूद भी गाड़ी को थाने में लाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थना पत्र में सच्चाई का कोई अंश निहित नहीं है। गाड़ी में जितने भी सिलेण्डर थे, उनके कैश मीमो डिलीवरी चालान प्रदत्त कर दिये गये थे। गाडी में जिस सेल्समैन की ड्यूटी थी, उसका बैंग एजेन्सी में रह गया था व गाडी को वहीं मौका पर खड़ा करके एजेंसी में वह बैग लेने चला गया ताकि सिलेण्डरों की विधिवत् सप्लाई हो सके। थोड़ी दूरी होने के कारण जैसे ही सेल्समैन समस्त दस्तावेज लेकर आया व उनको दिखा भी दिये। दिखाने के बावजूद भी जब्ती की कार्यवाही विधि विरूद्ध है। कालाबाजारी व अवैध बेचान में कथन मात्र कल्पना के आधार पर दर्ज किये गये है जिस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि समस्त [illegible] का इन्द्राज कम्पनी के स्टॉक रजिस्टर व वितरण र[illegible] किया गया है एवं जिसकी समस्त रिकॉर्ड प्रार्थ[illegible]

उनका आगे यह भी कथन है कि एक सि[illegible]र भारत गैस का था, के सम्बन्ध में निवेदन है कि एजेंसी का उपभोक्ता कालूराम स्थान 53 आरबी द्वारा लिखित में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पास दो सिलेण्डर

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है। एक इंडेन व एक बी.पी. का है। इंडेन गैस की उसके द्वारा बुकिंग करवाई थी जो गलती से बी.पी. का खाली सिलेंडर दे दिया। जिसमें अप्रार्थी की कोई गलती नहीं है। इसी मद में दर्ज जिन कैश मीमो का विवरण दर्ज किया है, वह इंडेन गैस के ही उपभोक्ता है एवं दूरी बाबत जो कथन किये है वह गूगल मैप का सहारा लिया गया है। वास्तविकता की जो दूरी है उसका कोई अंकन नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि गैस सिलेंडर व गाड़ी जो जब्त किया गया व उसकी जब्ती विधि विरूद्ध है व समस्त गैस सिलेण्डर अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि समस्त सिलेण्डर गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं के थे, जिनमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है किसी भी अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त सिलेंडर एवं गाडी को रिलीज किया जाना न्यायसंगत हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन आवश्यक वस्तु की परिधि में नहीुं आते, कोई भी दस्तावेज व रिकॉर्ड ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें जब्तशुदा सिलेण्डर कालाबाजारी मे लिप्त हो। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा गाड़ी व सिलेण्डर अप्रार्थी को दिये जाने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया है कि दिनांक 20.05.2023 को समय 10:12 बजे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशानुसार पुलिस थाना रायसिंहनगर पहुची तो मौके पर एक पिकअप वाहन नम्बर एचपी 28–2775 खड़ी हुई थी, जिसमे घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए थे जो वाहन चालक अवतार पुत्र श्री गुरमीत सिंह के कथनानुसार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर उसने उक्त गैस सिलेण्डर राधेश्याम गोयल इंडेन गैस एजेंसी तामकोट पदमपुर के होना बताया और रायसिंहनगर में सिलेण्डरों की सप्लाई हेतु आना बताया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार के गैस सिलेण्डर सम्बन्धी कागजात व बिल इ[illegible] पेश नहीं किये गये है। श्री रोहित, सेल्स ऑफिसर [illegible] दूरभाष नम्बर 96103–17104 पर सम्पर्क किया ग[illegible] होने के कारण आने से इन्कार कर दिया गया। उक्त ड्राईवर अवतार सि[illegible] के पास मौके पर कोई कागजात यथा गैस सिलेण्डर सप्लाई के कैशं मैमो, गोदाम का गेट पास, बिल आदि नहीं थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे **यह भी कथन** है कि जांच के वक्त ड्राईवर ने 41 कैश मैमो व 01 बिल (डिलीवरी चालान), **एजेंसी से बाद में मंगवाकर पेश किये गये जबकि वितरण हेतु जाते समय उक्त दस्तावेज गाड़ी में होना अनिवार्य है। पिकअप में 50 एलपीजी गैस सिलेण्डर थे परन्तु 41 की कैशमैमों पेश किये गये जो 20.05.2023 की बुकिंग दर्शाते है, शेष 09 खाली सिलण्डरों संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। 09 सिलेण्डर किसको वितरित किए गये, इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त 09 खाली सिलेण्डरों में 01 भारत गैस कम्पनी का था,** जो कि इण्डेन कम्पनी की गाडी में होना संदिग्ध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि इण्डेंन एजेंसी के द्वारा जो डिलीवरी चालान दिया गया वो 50 एलपीजी सिलेंडरों का था, जबकि 01 सिलेंडर भारत गैस का था। उक्त 41 कैशमैमों के अनुसार राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी द्वारा जारी कनेक्शन एजेंसी से 25 से 45 किलोमीटर (गूगल मैप के अनुसार) दूरी तक है। वक्त मौके पर गैस सिलेण्डर एलपीजी को तोला गया व उनका विवरण लिखा गया। उक्त सिलेण्डर अधिकार क्षेत्र से बाहर बेचान करने के कारण जब्त किये गये व पिकअप गाड़ी एचपी 28–2775 को भी साथ में जब्त किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 50 व पिकअप गाडी एचपी 28–2775 मैसर्स जोइया गैस एजेंसी (एचपी) रायसिंहनगर को सुपुदर्गी में दी गई, जिसका सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। मैसर्स राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी, 51 आरबी(तामकोट) तहसील पदमपुर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध बेचान करना पाया गया। यह कृत्य एलपीजी (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 की धारा क्लॉज 2(द)(प)(फ), 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग)4 तथा अनुसूची 01 के बिन्दु सं. (5,9) व अनुसूची 07 के बिन्दु संख्या 04 का उल्लंघन किया गया है एवं कम्पनी के साथ अनुबंध किए गये क्षेत्र जो अनुबंध में ... के अतिरिक्त क्षेत्र में जाकर विपणन का कार्य किया गया है एवं ... नियम का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम ... की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मौके पर जब्तशुदा 50 एल... गैस सिलेण्डर मय 582.2 किलो एलपीजी गैस (सीलबंद कंपनी इंडेन) को व पिकअप गाडी नम्बर एचपी –28–2775 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैनें **पत्रावली का** अवलोकन किया तो **पाया** कि दिनाक 20.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर, पुलिस थाना पर पहुंची। मौके पर पिकअप नम्बर एचपी 28–2775 खड़ी हुई थी, जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए थे। उक्त पिकअप गाड़ी नम्बर एचपी 28–2775 के ड्राईवर श्री अवतार सिंह पुत्र गुरमीत सिंह उम्र 30 साल, जाति जटसिख, निवासी तामकोट तहसील पदमपुर से गाड़ी में भरे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर बताया कि यह राधेश्याम गोयल इंडेन गैस एजेंसी तामकोट पदमपुर के है, हम यहां (रायसिंहनगर में) सिलेण्डरों को सप्लाई हेतु लाये है। मौके पर किसी भी प्रकार के गैस सिलेण्डर सम्बन्धी कागजात व बिल इनके द्वारा पेश नहीं किये गये है। उक्त ड्राईवर अवतार सिंह के पास मौके पर कोई कागजात(गैस सिलेण्डर सप्लाई के कैश मैमो, गोदाम का गेट पास, बिल आदि) पेश नहीं किये थे परन्तु बाद में जांच के वक्त उक्त ड्राईवर ने 41 कैश मैमो व 01 बिल (डिलीवरी चालान), एजेंसी से बाद में मंगवाकर पेश किये गये जबकि वितरण हेतु जाते समय उक्त दस्तावेज गाड़ी में होना अनिवार्य है। पिकअप में 50 एलपीजी गैस सिलेण्डर थे परन्तु 41 की कैशमैमों पेश किये गये जो 20.05.2023 की बुकिंग दर्शाते है, शेष 09 खाली सिलण्डरों संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। 09 सिलेण्डर किसको वितरित किए गये, इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त 09 खाली सिलेण्डरों में 01 भारत गैस कम्पनी का था। इण्डेंन एजेंसी के द्वारा जो डिलीवरी चालान दिया गया वो 50 एलपीजी सिलेंडरों का था जबकि 01 सिलेंडर भारत गैस का था। उक्त 41 कैशमैमों के अनुसार राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी द्वारा जारी कनेक्शन एजेंसी से 25 से 45 किलोमीटर (गूगल मैप के अनुसार) दूरी तक है। वक्त मौके पर गैस सिलेण्डर एलपीजी को तोला गया व उनका विवरण लिखा गया। उक्त सिलेण्डर अधिकार क्षेत्र से बाहर बेचान करने के कारण जब्त किये गये व पिकअप गाड़ी एचपी 28–2775 को भी साथ में जब्त किया गया। घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 50 व पिकअप गाडी एचपी 28–2775 मैसर्स जोइया [illegible]सी (एचपी) रायसिंहनगर को सुपुदर्गी में दी गई। मैसर्स राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी, 51 आरबी(तामकोट) तहसील पदमपुर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध बेचान करने के कारण, उनका यह कृत्य एलपीजी (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 की धारा क्लॉज 2(द)(प)(फ), 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग)4 तथा अनुसूची 01 के बिन्द सं0 (5,9) व अनुसूची 07

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

के बिन्दु संख्या 04 का उल्लंघन किया गया है एवं कम्पनी के साथ अनुबंध किए गये क्षेत्र जो अनुबंध में दर्ज है, के अतिरिक्त क्षेत्र में जाकर विपणन का कार्य किया गया है एवं विस्फोटक अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मौके पर जब्तशुदा 50 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 582.2 किलो एलपीजी गैस (सीलबंद कंपनी इंडेन) को व पिकअप गाड़ी नम्बर एचपी –28–2775 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः–

> "**जहां** कोई **व्यक्ति धारा 3** के **अधीन** किये **गये किसी** ऐसे आदेश **का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।**"

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पिकअप वाहन संख्या एचपी 28–2775 में जब्त किये गये 50 एलपीजी गैस सिलेण्डर मैसर्स राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी 51आरबी (तामकोट), **तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अनुबंध में दर्ज क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जाकर विपणन कार्य किया जा रहा था।** अप्रार्थी के द्वारा अपने लिखित जवाब के साथ चालान की प्रति पेश की है। **समस्त चालान में एलपीजी गैस सिलेण्डर की ऑफलाईन बुकिंग दिनांक 20.05.2023 को होना अंकित है और [illegible]05.2023 को ही प्रातः 10:00 बजे पदमपुर से रायसिंहनगर गैस सिलेण्डर सप्लाई करने आये और प्रातः लगभग 10:00 बजे तक 9 गैस सिलेण्डर की सप्लाई भी कर दी गई**, जिसमें किसी प्रकार की सत्यता प्रतीत नहीं होती है बल्कि समस्त तथ्य after thought प्रतीत होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या – 91/2025
(GCMS 2025/210)

इण्डेन एजेंसी के द्वारा जो डिलीवरी चालान दिया गया है वो 50 एलपीजी सिलेंडर का था जबकि इसमें 01 सिलेंडर भारत गैस का था। कैश मैमो का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बुकिंग दिनांक	उपभोक्ता क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	पता	तहसील	एजेंसी से दूरी
1	20.05.23	7051490426	कमला देवी	27 पीएस लिखमेवाला	रायसिंहनगर	28किमी
2	20.05.23	7081629120	सरला देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
3	20.05.23	7081566771	जीत कौर	85 आरबी	रायसिंहनगर	38किमी
4	20.05.23	7081372425	शारदा देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
5	20.05.23	7081372411	प्रेमी देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
6	20.05.23	7077024596	गुड्डी देवी	भादवा वाला	रायसिंहनगर	27किमी
7	20.05.23	7081372394	संतोष देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
8	20.05.23	7081372158	उर्मिला देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
9	20.05.23	7081372354	सुमित्रा देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
10	20.05.23	7081372069	बावली देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
11	20.05.23	7081372063	रूकमा देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
12	20.05.23	7081372060	सुनीता देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
13	20.05.23	7080827717	सावित्री देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
14	20.05.23	7081372007	गुरमीत कौर	85 आरबी	रायसिंहनगर	38किमी
15	20.05.23	7080828755	गुड्डी देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
16	20.05.23	7081371978	कमला देवी	83 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
17	20.05.23	7080828939	दुर्गा देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
18	20.05.23	7080829496	सरस्वती देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
19	20.05.23	7080829909	जयकौरी देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
20	20.05.23	7084055353	महेन्द्र कौर	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
21	20.05.23	7036727247	इन्द्र देवी	83 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
22	20.05.23	7036411123	इन्द्र देवी	83 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
23	20.05.23	7085663476	कमला देवी	79 आरबी	[illegible]	27किमी
24	20.05.23	7081372127	रमी देवी	84 आरबी	[illegible]	36किमी
25	20.05.23	7049537264	सुखविन्द्र कौर	85 आरबी	रायसिंहनगर	38किमी
26	20.05.23	7058919269	सरदा देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
27	20.05.23	7082827049	रमी देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
28	20.05.23	7086278804	दर्शन सिंह	लिखमेवाला	रायसिंहनगर	28किमी
29	20.05.23	7081924764	निर्मला देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

30	20.05.23	7068756463	मंजू देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
31	20.05.23	7066502813	जमना देवी	भादवांवाला	रायसिंहनगर	27किमी
32	20.05.23	7202692016	परमेश्वरी देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
33	20.05.23	7072492547	सुनीता देवी	26 पीएस	रायसिंहनगर	26किमी
34	20.05.23	7081921033	सरवती देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
35	20.05.23	7085642630	जेठी देवी	82 आरबी	रायसिंहनगर	32किमी
36	20.05.23	7077582877	कमलेश देवी	84 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
37	20.05.23	7032940349	सुखदेव सिंह	26 आरबी	रायसिंहनगर	45किमी
38	20.05.23	7081371894	हस्ती देवी	83 आरबी	रायसिंहनगर	36किमी
39	20.05.23	7056390454	गुड्डी देवी	भादवांवाली	रायसिंहनगर	27किमी
40	20.05.23	7048168896	मंजू	सवंतसर'	रायसिंहनगर	19किमी
41	20.05.23	7060510955	कृष्ण गोदारा	वार्ड नं. 2 रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	26किमी

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये **गये उक्त** 41 कैशमैमो के अनुसार राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी द्वारा जारी कनेक्शन एजेंसी से 25 से 45 किलोमीटर (गूगल मैप के अनुसार) दूरी तक के है तथा अप्रार्थी द्वारा 41 कैश मैमो ही प्रस्तुत किये गये है जबकि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 50 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर (49 इण्डेन कम्पनी एवं 01 भारत गैस कम्पनी) अधिकार क्षेत्र से बाहर बेचान करने के कारण जब्त किये गये है।

उक्त के अतिरिक्त अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में दो पेट्रोलियम गैस एजेंसी के गैस सिलेण्डर होना बताया है जबकि **द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3(1)(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

> 3. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अप्राधिकृत कब्जे, प्रदाय और उपभोग पर निर्बन्धन –
>
> 1. कोई (व्यक्ति या गृहस्थी) जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम [illegible] ए कनेक्शन है, :
>
> (क) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का एक से अधिक क[illegible]न नहीं रखेगा,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या – 91 / 2025
(GCMS 2025/210)

अप्रार्थी इण्डेन एवं भारत पेट्रोलियम गैस के कनेक्शन एक साथ रखकर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3(1)(ख) की भी स्पष्ट उल्लंघना की गई है।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मौके पर अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध बेचान करना, एलपीजी (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 की धारा क्लॉज 2(द)(प)(फ), 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग)4 तथा अनुसूची 01 के बिन्द सं0 (5,9) व अनुसूची 07 के बिन्दु संख्या 04 की स्पष्ट उल्लंघना की गई है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा 50 एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 582.20 किलो एलपीजी गैस राजसात करने योग्य ठहरते है।

अप्रार्थी **मैसर्स राधेश्याम गोयल इण्डेन ग्रामीण वितरण एजेंसी, 51 आरबी (तामकोट), तहसीलदार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर, रायसिंहनगर में विपणन का कार्य किया जा रहा था, पिकअप वाहन नम्बर एचपी 28–2775 का उपयोग उक्त गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से परिवहन के कार्य में लिप्त है।** इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा उक्त वाहन पिकअप संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क का परन्तु निम्न प्रकार से अवलोकनीय हैः

> परन्तु यह और कि भाडे **पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाडी यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।**

चूंकि उक्त जब्तशुदा वा[illegible]**बार** में लिप्त पाया गया है इसलिए **आवश्यक वस्तु अधि**[illegible] **6क के परन्तुक एवं** माननीय उच्चतम न्याया[illegible] **व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि पिकअप वाहन संख्या एचपी–28–2775 का अनुमानित बाजार भाव 75 हजार रूपये होना है। इसलिए वाहन पर 75 हजार रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 50 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर य 582.20 किलो एलपीजी गैस को सुपुर्दगी में रखे जाने के आदेश दिये गये थे, को राजसात करने एवं प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा के आदेश दिये जाते है साथ ही जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या एचपी–28–2775 पर, 75 हजार रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है, का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि भी राजकोष में जमा करवायें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी से जब्तशुदा 50 घरेलू गैस सिलेण्डर (49 इण्डेन कम्पनी के व 01 भारत गैस कम्पनी का) को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाते है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त जब्तशुदा सामग्री से प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवायें। उक्त जब्तशुदा 50 घरेलू गैस सिलेण्डर (49 इण्डेन कम्पनी के व 01 भारत गैस कम्पनी का) को अति. आयुक्त खाद्य के आदेश क्रमांक एफ86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 जयपुर, 19 अगस्त 2000 एवं क्रमांक एफ 86(23)खा.ले./6ए/89, जयपुर, 20 अक्टूबर 2000 के अनुसार निस्तारण किया जाये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर